

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-1165- 113

रा.निग.क्र. /2013

डॉ. सईद अहमद आत्मज श्री इस्ताक अली
कृषक ग्राम-अगरिया निवासी-गौहरगंज,
तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन.

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र.शासन

द्वारा-कलेक्टर महोदय,रायसेन।

मो.रईस आत्मज मो.सईद

निवासी-ग्राम बरखेड़ा तह.गौहरगंज जिला-रायसेन

.....उत्तरदातागण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

न्यायालय तहसीलदार तहसील गौहरगंज के द्वारा प्र.क्र.10/अ-70/2011-12
में पारित आदेश दिनांक 03.12.2012 से दुखी होकर आदेश की प्रमाणित प्रति
प्राप्त कर समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा
रही है ।

वीड
21/11/12

मो.रईस आत्मज मो.सईद
21/11/12
22/11/12
न्यायालय तहसीलदार
गौहरगंज,
भोपाल संभाग,


2/12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1165-एक/13

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-7-2016	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 3-12-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 14-5-2013 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-7-2014 को अवैध आधिपत्य हटाया जाकर मूल भूमिस्वामी को कब्जा सौंपने के निर्देश दिये गये है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>